



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17052022-235789
CG-DL-E-17052022-235789

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2110]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 13, 2022/वैशाख 23, 1944

No. 2110]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 13, 2022/VAISAKHA 23, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2022

का. आ. 2219(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2423(अ) क्रमशः दिनांक 08.07.2019 तथा अतिरिक्त भूखंडों/अतिरिक्त क्षेत्र के लिए का.आ. 4374(अ) क्रमशः दिनांक 21.10.2021 उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा पाइपलाइन (जे एच बी डी पी एल) और स्पर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, सक्षम प्राधिकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनों बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

जगदीशपुर— हल्दिया— बोकारो— धामरा पाइपलाइन (जे०एच०बी०डी०पी०एल०) एवम स्पर पाइपलाइन प्रोजेक्ट								
दुर्गापुर — हल्दिया, सेक्सन -3 बी								
अनुसूची								
राज्य - पश्चिम बंगाल								
जिला	ब्लॉक	मौजा	थाना नं.	नक्शा	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
						हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7		
हुगली	मोगरा चिनसुरा	नक्सा	16	एल.आर.	1037/1085	00	01	70
					902	00	00	8
					903	00	01	33
					905	00	00	20
					904	00	06	11
					909	00	10	16
					999	00	05	95
					997	00	06	15
					990	00	05	62
					989	00	17	44
					906	00	02	59
					899	00	00	4
					897	00	02	67
					995/1095	00	04	1

[फा सं. एल-14014/92/2022-जीपी-II (ई -42854)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2022

S.O. 2219(E).— Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas published vide S.O No: 2423(E) Dated 08.07.2019 for Additional Plots/Additional Area published vide S.O No: 4374(E) Dated 21.10.2021 issued under sub- section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Jagdishpur – Haldia – Bokaro – Dhamra Pipeline (JHBDPL) & Spur Pipeline in the State of West Bengal by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

JAGDISHPUR-HALDIA-BOKARO-DHAMRA PIPELINE (JHBDPL) & SPUR PIPELINE PROJECT								
DURGAPUR - HALDIA, SECTION -3B								
Schedule								
State : West Bengal								
District	Block	Mouza	Jl.No.	Map	Plot	Area		
						Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6	7		
Hooghly	Mogra Chinsurah	Naksa	16	LR	1037/1085	00	01	70
					902	00	00	8
					903	00	01	33
					905	00	00	20
					904	00	06	11
					909	00	10	16
					999	00	05	95
					997	00	06	15
					990	00	05	62
					989	00	17	44
					906	00	02	59
					899	00	00	4
					897	00	02	67
					995/1095	00	04	1

[F. No. L-14014/92/2022-GP-II (E-42854)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.